भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4032

25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

लघु और मध्यम उद्यम

4032. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार इस्पात क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है;

(ख) क्या इस्पात उद्योग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं नए प्रोत्साहनों अथवा राजसहायता का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बैठक के दौरान इस्पात क्षेत्र की कार्यबल प्रशिक्षण और कौशल विकास आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार इस्पात क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) सहित इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

i. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
ii. देश के भीतर मूल्यवर्धित इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू करना।
iii. घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयात की प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) 2.0 को नया रूप दिया गया।
iv. इस्पात निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को और अधिक अनुकूल शर्तों पर सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय करना।

जारी...2/-

(ख) और (ग): इस्पात मंत्रालय अभिज्ञात महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत आरएंडडी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुसंधान एवं विकास योजना अर्थात "लौह एवं इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी का संवर्द्धन" का प्रचालन कर रहा है। आरएंडडी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जोर दिए जाने वाले क्षेत्र, नई वैकल्पिक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का विकास हैं, जिनका उद्देश्य लौह एवं इस्पात क्षेत्र के सामने आने वाले ज्वलंत मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन (उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा खपत में कमी), अपशिष्ट उपयोग, संसाधन दक्षता आदि का समाधान करना है। इस योजना के अंतर्गत, इस्पात क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के समक्ष आ रही प्रौद्योगिकीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए आरएंडडी परियोजनाओं को भी वित्त पोषित किया गया है।

(घ): इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है तथा सरकार एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं, जिनमें इस्पात क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा देना शामिल है।

- पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नालॉजी (एनआईएसएसटी) की स्थापना की गई, ताकि द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति, औद्योगिक सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं, परामर्श सेवाएं प्रदान की जा सकें;

- पूर्वी क्षेत्र में इस्पात उद्योग की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कलिंग नगर, जाजपुर में बीजू पटनायक राष्ट्रीय इस्पात संस्थान (बीपीएनएसआई) की स्थापना।

*****